संख 349 / XX-8 / 2018–197–विविध / 2002

प्रेषक,

आनन्द वर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड,
पुलिस मुख्यालय–देहरादून।

गृह अनुभाग–8 देहरादूनः दिनॉक 17 मई 2018

विषयः पुलिस कार्मिको द्वारा साहसिक कार्य किये जाने के फलस्वरूप टीम को पुरस्कृत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या डीजी–सात–131 / 2014 दिनांक 18 अप्रैल 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद देहरादून के थाना राजपुर के अन्तर्गत व्यापारी श्री अरूण गुप्ता पुत्र श्री सूरजभान गुप्ता, निवासी साईनबाग, जन्नीवाला, बुनियाल गॉव के घर से लगभग 2 करोड़ की चोरी की घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयासों से शत– प्रतिशत बरामदगी की गई, तत्क्रम में वादी द्वारा उक्त सराहनीय कार्य हेतु पुलिस टीम को रू0 1,11,000 / –(एक लाख ग्यारह हजार मात्र) पारितोषिक की धनराशि को सम्बन्धित पुलिस कार्मिकों में वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1436 / बीस–8 / 2015–197–विविध / 2002, दिनांक 20.2.2015 में सराहनीय कार्यों हेतु पारितोषिक के रूप में प्राप्त धनराशि की स्वीकृति के अधिकार के प्रतिनिधायन हेतु प्राविधानित व्यवस्थानुसार उक्त पारितोषिक की धनराशि दिये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक अनुदान संख्या 10 के मुख्य लेखाशीर्षक 2055–पुलिस, 113–पुलिस कार्मिको के कल्याण, 10–मुठभेड़ में मृत्यु होने पर अथवा साहसिक कार्य हेतु पुलिस बल को सहायता / पुरस्कार के मानक मद 42–अन्य व्यय के तहत प्राविधानित धनराशि द्वारा की जायेगी।

भवदीय

(आनन्द वर्द्धन)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 349/XX-8/2018-197-विविध/2002 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड देहरादून।
2- निदेशक, कोषागार , 25 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
3- सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5- वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Akhilesh

(अखिलेश मिश्रा)

अनु सचिव